४६७ (9)
11.05.2019

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

सं0सं09/आ0–03–33/2018 /स्वा0/पटना,दिनांक / डा0 श्रवण कुमार पासवान, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सदर प्रखण्ड, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण के विरूद्ध बैजू प्रसाद, ग्राम+पोस्ट– लखौरा (मोहरा टोला), थाना–लखौरा, जिला–पूर्वी चम्पारण से प्राप्त परिवाद पत्र के संबंध में बिहार मानवाधिकार आयोग के दिनांक 06.05.16 के आदेश के आलोक में डा0 श्रवण कुमार से डा0 आशुतोष कुमार के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया था, परन्तु प्राथमिकी दर्ज कराने की जटिलता बताकर प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का आरोप प्रतिवेदित किया गया।

(2) इस संबंध में विभागीय पत्रांक 975 दिनांक 05.09.2018 के द्वारा डा0 पासवान से स्पष्टीकरण की मांग की गई जिसके आलोक में विभाग को समर्पित अपने स्पष्टीकरण में डा0 पासवान ने कहा कि डा0 आशुतोष कुमार के द्वारा सिविल सर्जन को आवेदन दिया गया कि मुझ पर लगाए गए आरोप गलत है। इस अभ्यावेदन के आलोक में सिविल सर्जन द्वारा मुझे निदेश दिया गया कि संतुष्ट होकर ही एफ0 आई0 आर0 दर्ज किया जाए।

(3) डा0 श्रवण कुमार पासवान से डा0 आशुतोष कुमार के विरूद्ध प्राथमिक दर्ज नहीं करने के कारण सिविल सर्जन के माध्यम से भी स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी, जिसमें डा0 पासवान ने अंकित किया कि ''मुझे निदेश दिया गया था कि डा0 आशुतोष कुमार के अभ्यावेदन पर संतुष्ट होकर ही कार्रवाई करेगे, ताकि भविष्य में कोई जटिलता उत्पन्न न हो सके। इससे स्पष्ट है कि पहले जॉच करना था। सीधे प्राथमिकी दर्ज करने का स्पष्ट आदेश दिया गया होता तो निश्चित रूप से मैं आदेश का पालन करता, तत्कालीन सिविल सर्जन द्वारा दूरभाष पर कहा गया कि आनन–फानन में प्राथमिकी दर्ज करने से बाद में परेशानी हो सकती है, मैने स्पष्ट आदेश देने की याचना की थी, लेकिन मुझे दुबारा कोई आदेश नहीं मिला। अन्ततः डा0 आशुतोष कुमार के विरूद्ध प्राथमिकी लखौरा थाना काण्ड संख्या – 154/16 दर्ज कराया गया है। डा0 आशुतोष कुमार के संबंध में वरीय चिकित्सा पदाधिकारी से जॉच कराया गया।

(4) डा0 पासवान ने यह भी कहा कि डा0 आशुतोष कुमार के द्वारा दिए गए सूई दवा से बच्चे की मृत्यु नहीं हुई है।

(5) डा0 आशुतोष कुमार के विरूद्ध दर्ज प्राथमिकी की सम्पुष्टि लखौरा थाना से कराई गई।

(6) वर्णित स्थिति में यह प्रतीत होता है कि डा0 श्रवण कुमार पासवान द्वारा मानवाधिकार आयोग के आदेश के आलोक में तत्क्षण कार्रवाई नहीं की गई। इसके लिए डा0 पासवान दोषी प्रतीत होते है।

(7) अतः डा0 श्रवण कुमार पासवान, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सदर प्रखण्ड मोतिहारी के द्वारा त्वरित कार्रवाई नहीं करने के लिए दोषी पाए जाने की पृष्ठभूमि में सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से इनके विरूद्ध ''निंदन'' की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–

(विवेकानन्द ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव,

ज्ञापांकः 467 (9) /स्वा0, पटना , दिनांकः 11.04.2019

प्रतिलिपिः— महालेखाकार, (ले0 एं0 ह0) बिहार पटना/ उप सचिव, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें तिरहुत प्रमण्डल मुजफ्फरपुर/सिविल सर्जन पूर्वी चम्पारण मोतिहारी/ जिला पदाधिकारी मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— असिस्टेन्ट रजिस्टार बिहार मानवाधिकार आयोग, बिहार, पटना BHRC/COMP 1821/2015–12002 पटना दिनांक 31.03.2016/16312 दिनांक 06.05.16 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— डा0 श्रवण कुमार पासवान, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सदर प्रखण्ड, मोतीहारी, पूर्वी चम्पारण के विरूद्ध बैजू प्रसाद, ग्राम+पोस्ट– लखौरा (मोहरा टोला), थाना–लखौरा, जिला–पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा0 के आप्त सचिव /निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी 2,3,5,7,8,10, 17 एवं 18ए स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

11/04/19

सरकार के अवर सचिव